कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/ 7654 दिनांक 18-7-23

निमित्तः–

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
कोटा।

विषय :– शाहबाद से राजपुर सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/30083/2022 (4.00ha)

संदर्भः– आपका का पत्र क्रमांक 3139 दिनांक 14.6. 23 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से चाही गई रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है।

S.N	EDS - DATE 14.06.23	REPLY
1.	शाहबाद से राजपुर जाने के लिये वर्तमान में मुण्डियर से रास्ता पहले से ही उपलब्ध है शाहबाद में कोई बढी मन्डी भी नही है, वैकल्पिक रूट भी मौजूद है फिर प्रस्ताव की आवश्यकता क्यो है स्थिति स्पष्ट करें।	यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 343 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि शाहबाद से राजपुर मात्र 7 कि.मी दूर है तथा दुसरा रास्ता शाहबाद से मुण्डिर होकर जाता हैं जिससे 20 कि.मी की दूरी तय करनी पडती है। चिकित्सा एव उच्च शिक्षा के लिये लोगो को शाहबाद आना पडता है। जिससे लोगो असुविधा होती है। सीधा मार्ग बनने से मध्यप्रदेश से आने वाले लोगो को एव 20 से अधिक गांवो की जनता को सीधी सुविधा मिल सकेगी।
2.	भाग–I के बिन्दु J में प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थिति होना नहीं बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।	यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 343 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–I के बिन्दु संख्या J में जो लिखा है वह सही है। उक्त परियोजना तहसील शाहबाद के अन्तर्गत प्रस्तावित है। किन्तु अनुसूचित क्षेत्र में नही आता है। उक्त के संबंध में गजट नोटिफिकेशन संलग्न है।
3.	भाग–I के बिन्दु I में प्रस्तावित रोड़ किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है। पुनः चैक करें हाल ही	यूजर एजेन्सी के पत्र क्रमांक 343 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–I के बिन्दु I में जो लिखा है वह

Scanned with CamScanner

	में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नही, अगर है, तो तदानुसार संशोधन करावें।	सही है। प्रस्तावित प्रकरण हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है। परन्तु MOEF का परिपत्र दिनांक 21.07.2022 (प्रति संलग्न के अनुसार Wildlife Clearance की आवश्यकता नही है।
4.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट को केवल बाहर डालने की वचनबद्धता दी गयी है। जबकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता है। उत्पादित मक में कितना रोड़ निर्माण में लिया जावेगा राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।	मक डिस्पोजल योजना के संबंध मे यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 342 दिनांक 23.06. 2023 द्वारा अवगत कराया गया है सडक का निर्माण भराव (Embankment) में किया जाना है। सडक में कोई कटिंग प्रस्तावित नही है।, सडक निर्माण सामग्री बाहर से परिवहन कर लाई जानी है। इस प्रकार सडक निर्माण में किसी प्रकार का मक उत्पादित नही होगा। इसके लिये मक डिस्पोजल योजना की आवश्यकता नही है।
5.	पार्ट –I के साथ संलग्न शाहबाद से राजपुर रोड की टोपो शीट में बिन्दु ए,बी,सी अंकित है जबकि इन्डेक्स में डी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इन्डेक्स में वन भूमि तथा प्रस्तावित रोड के पृथक–पृथक चिन्ह अंकित किये गये है। जबकि प्रस्तावित रोड भी वन भूमि हेतु निर्धारित चिन्ह से अंकित कर दी गई है।	यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 343 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि भाग–I के साथ संलग्न शाहबाद से राजपुर रोड की टोपो शीट में बिन्दु ए,बी,सी सही कर दिया गया है। एवं इन्डेक्स में भी संशोधन कर दिया गया है। इसके अलावा इन्डेक्स में वन भूमि तथा प्रस्तावित रोड के पृथक–पृथक चिन्ह अंकित किये गये है साथ ही प्रस्तावित रोड भी वन भूमि हेतु निर्धारित चिन्ह से अंकित कर दी गई है।
6.	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपेक्षित है।	पार्ट–II के बिन्दु संख्या–2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न है।
7.	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 4 में प्रस्ताव में आने वाले वृक्षो कि प्रजातिवार सूची में	पार्ट–II के बिन्दु संख्या 4 में प्रस्ताव में आने वाले वृक्षो कि प्रजातिवार सूची में

Scanned with CamScanner

	स्पेलिंग में भी गलतिया है। सही करे तथा कोष्ठक में साईन्टिफिक नाम भी लिखे।	स्पेलिंग में सही कर दी गई है। तथा कोष्ठक में साईन्टिफिक नाम भी लिख दिये गये है।
8	प्रस्तावित सडक निर्माण में आने वाले पेडो की जो संकलित गणना रिपोर्ट अपलोड की गई है वह अस्पष्ट है, प्रति अपलोड की जानी अपेक्षित है।	प्रस्तावित सडक निर्माण में आने वाले पेडो की संकलित गणना रिपोर्ट सही कर अपलोड कर दी गई है।
9.	प्रस्ताव में कुल 585 पेड आ रहे है, इन पेडो की कटाई की आवश्यकता है या नही स्पष्ट करें। यदि पेडों का कटान होना है तो उनके काटने तथा वन विभाग के डिपो तक पहुँचाने का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण वहन करेगा इस आशय की वचनबद्धता लेवें।	प्रस्ताव में कुल 585 पेड आ रहे है, इन पेडो की कटाई की आवश्यकता है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि परियोजना में कुल 4.00 है0 में कुल 585 वृक्षो का पातन किया जायेगा एव पातन होने वाले वृक्षो को काटकर प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर परिवहन कर विभागीय डिपो पर संभलाया जायेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अण्डरटेकिंग प्रेषित की गई है। (अंडरटैकिंग संलग्न है।)
10.	आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट उँची दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4–5 अण्डरपास के निर्माण प्रस्तावित किये है। किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नही बताया गया है। अण्डरपास कहां–कहां बनेगें स्पष्ट नही है। साथ ही जी.पी.एस. कॉडिनेटस भी उपलब्ध नही कराये है। इन कार्यो का प्रयोक्ता अभिकरण से चर्चा कर पुनः विश्लेषण करें। अगर कोई कार्य करवाया जाना है तो उसे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।	चूकि उपरोक्त सडक कन्जर्वेशन रिर्जव शाहबाद का भाग है एव सडक के दोनो ओर 6 फिट ऊची दिवार बनाने से वन्य जीव सडक पर नही आयेंगे साथ ही दो अंडरपास के जी.पी.एस कोर्डिनेटस यूजर एजेन्सी द्वारा भिजवा दिये है। 1. N 25°15'11.95" E 77°08'25.38" 2. N 25°15'13.43" E 77°08'06.80"
11.	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण प्रतीत नही होती है। रिपोर्ट के बिन्दु ए व बी में जो लागू को उसे बोल्ड किया जाना अपेक्षित है और बिन्दु सी में वांछित अनुसा रिपोर्ट अपेक्षित है।	स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सही कर दी गई है। बिन्दु संख्या ए व बी में जो लागू है उसे बोल्ड,कर दिया गया है बिन्दु–सी में वांछित अनुसार रिपोर्ट प्रेषित है

Scanned with CamScanner

12	चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वनभूमि 4.00 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 10 खसरा नम्बरों में होना बताया है जबकि ले-आउट प्लान में दो खसरा नम्बर में होना दर्शाया है। इसके अलावा नक्शे पर मार्ग सीमा अनुसार पिल्लर संख्या 1 से 9 के बीच में कुछ भूमि छुटी हुई जिसका कोई औचित्य नहीं है। यही भूमि जी0टी0शीट पर 6 जगह बताई है। स्थिति स्पष्ट करें तथा रिकार्ड संशोधित करें।	चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वनभूमि 4.00 है0 की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 2 खसरो नम्बरों में होना अंकित कर दिया है यूजर एजेन्सी के पत्र कमांक 343 दिनांक 23.06.2023 द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला कलक्टर बारा के पत्र क्रमांक 401-09 दिनांक 20.01.23 को 7 प्रस्तावो हेतु कुल 32.19 है0 भूमि आंवटित की गई है। उक्त प्रस्ताव हेतु ख0न0 187 रकबा 12.05 है0 में से 1.92 है0 भूमि तथा ख0न0 188 रकबा 21.10 है0 में से 2.081 है0 भूमि दी गई है। इसके अलावा नक्शे पर मार्ग सीमा अनुसार पिल्लर संख्या 1 से 9 के बीच में कुछ भूमि छुटी हुई थी उसमें संशोधन कर दिया गया है। लेआउट प्लान जी.टी शीट में संशोधन कर संलग्न प्रेषित है।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/ **दिनांक**

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अतिःप्रधान मुख्य वन संरक्षक,प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफ.सी.ए) राजस्थान जयपुर।
2. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned with CamScanner